न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
140/25	03/11/25	03/11/25

//उनवान//

1. सविता पत्नि रोहिताश जाति गुर्जर, निवासी सबलगढ निवासी सबलगढ बनेठी तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0

:– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 03/11/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 959 रकबा 1.52 हैक्0, एवं खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0 वाके ग्राम काली पहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिज़ारा
2. यह है कि आराजी हाल खाता संख्या 139 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0 में दुलीचन्द पुत्र मक्खनलाल 1/4 भाग व प्रेमपरमा पत्नि हुकमसिंह 1/4 भाग व माया पत्नि मंगतुराम का 1/4 भाग व सविता पत्नि रोहिताश 1/4 भाग दर्ज हो रहा है तथा खाता संख्या 22 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 959 रकबा 1.52 हैक्0 में चिरंजीलाल पुत्र सगरू 5/12 भाग व जयवीर पुत्र भगवाना 1/12 भाग व रमेश पुत्र भोरेलाल 1/2 भाग दर्ज हो रहा है।
3. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 900/868 रकबा 1.52 हैक्0 से हाल खसरा नम्बर 959 रकबा 1.52 हैक्0 व गत खसरा नम्बर 901/868 रकबा 1.52 हैक्0 से हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0 पैमूद किया गया है।
4. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हम प्रार्थीया को खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0 में नाम दर्ज कर दिया, जबकी मिन प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार की आराजी खसरा नम्बर 959 रकबा 1.52 हैक्0 रही है तथा खसरा नम्बर 959 रकबा 1.52 हैक्0 में चिरंजीलाल पुत्र सगरू वगै0 के नाम दर्ज कर दिया, जबकी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

चिरंजीलाल पुत्र सगरू की आराजी खसरा नम्बर 960 रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर बदल दिये है तथा हाल खसरा नम्बर के अनुसार कण्डनसलर नक्शा बना दिया गया है। जो मौका के खिलाफ बनाया गया है।

5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0 से मिन प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार का नाम हजफ कर, उसके स्थान खसरा नम्बर 959 में दर्ज खातेदार का नाम दर्ज किया जावे व हाल खसरा नम्बर 959 रकबा 1.52 हैक्0 से चिरंजीलाल व अन्य का नाम हजफ कर खसरा नम्बर 960 के काश्तकारों का नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे व इसी प्रकार से हाल कण्डनसलर नक्शा दुरूस्त फरमाया जावे।

6. यह है कि मिन प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रही है तथा मिन प्रार्थीया को कभी राजस्व रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता नही पड़ी जिस कारण मिन प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत इन्द्राज की जानकारी नही हुई, लेकिन अब नि प्रार्थी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकल चाही तो मिन प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर बदल जाने की जानकारी हुई, जिसकी जानकारी पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बरान बदलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अप्रार्थी ने अपनी मौका रिपोर्ट तैयार कर दी तथा हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर, अदालत से दुरूस्त कराने की कही जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना–पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि विवादित आराजीयात अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना–पत्र अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है।

8. यह है कि प्रार्थना–पत्र हाजा पर 2 रू कोर्ट फीस चस्पा कर पेश है।

अतः श्रीमान जी प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मिन प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 960 रकबा 1.52 हैक्0, से मिन प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार का नाम हजफ कर, मिन प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार का नाम हाल खसरा नम्बर 959 में दर्ज किया जाने व खसरा नम्बर 959 में दर्ज खातेदार का नाम हजफ कर उनका नाम हाल खसरा नम्बर 960 में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा।

प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया चूंकि प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रेषित किया गया है रिपोर्ट शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/7199 दिनांक 18.08.2025 वर्तमान खाता संख्या 22 में वर्णित खसरा नम्बर 959 में दर्ज खातेदार खाता संख्या 139 में वर्णित खसरा नम्बर 960 पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 960 में दर्ज खातेदार 959 पर काबिज है। श्रीमानजी रिकॉर्ड कम्पयूटराइज हुआ उस समय सहवन से उपरोक्त खसरे उपरोक्त खातेदार के गलत दर्ज हो गये है अतः श्रीमान जी शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत 2064 नकल जमाबंदी संवत 2070 नकल नामांतकरण संख्या 473 दिनांक 08.01.2009 वाके ग्राम कालीपहाडी, नक्शा ट्रेश, एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74, पेश होकर शामिल पत्रावली है।

रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किये जाने पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र को न्यायालय स्वीकार योग्य पाया है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कालीपहाडी के **"हाल खसरा नम्बर 959 में दर्ज खातेदार का नाम हजफ कर खसरा नम्बर 960 में दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 960 में दर्ज खातेदार को हजफ कर खसरा नम्बर 959 में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **03.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)